बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना दिनांक 16-08-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017–18 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहतर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017–18 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहतर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्ष, 2017–18 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

कार्यक्रम का विवरण	इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई (सं0 में)	150000
प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी कम्पोस्ट इकाई (सं0 में)	11300
पायलट प्रोग्राम के तहत् एक ग्राम में पूर्ण वर्मी कम्पोस्ट इकाई (सं0 में)	9000
वर्मी कम्पोस्ट वितरण (क्विं0 में)	350000
गोबर गैस (सं0 में)	3600
व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट (सं0 में)	20
व्यावसायिक जैव उर्वरक (सं0 में)	2
जैव उर्वरक वितरण (हे0 में)	37500
हरी खाद (हे0 में) मूंग एवं ढ़ैंचा आदि	327885
बीजोपचार रसायन अभियान (हे0 में)	304400
बीजोपचार उपकरण (सं0 में)	8460
फेरोमेनट्रैप (हे0 में)	15000
जैव कीटनाशी (हे0 में)	20000
जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण (एकड़ में)	2000

3. कृषि रोड मैप में जैविक खेती के आयामों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शामिल किये गये है। कार्यक्रमवार कार्य योजना अनुसूची–1 पर संलग्न है। विभिन्न कार्यमदों के लिए स्वीकृत अनुदान दर अनुसूची–2 पर संलग्न है।

4. योजना में शामिल कार्यमदों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **वर्मी कम्पोस्ट** मिट्टी में पोषक तत्वों की समेकित रूप से उपलब्धता तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को 75 घन फीट क्षमता के स्थायी/अर्द्धस्थायी उत्पादन इकाई पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 4000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। एक किसान अधिक से अधिक 05 इकाई के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष में वर्मी कम्पोस्ट इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन करते रहने पर अतिरिक्त 05 इकाई के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं। प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी बेड पर 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 रु0 देने की स्वीकृति है (1000x700x640 मि0मी0 4मि0मी0 मोटा या 1320x870x600 मि0मी0 4मि0मी0 मोटा)। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी/सरकारी प्रतिष्ठानों

को सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्मी कम्पोस्ट वितरण में मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू0/क्विं0 की दर से अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिए अनुदान के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु निजी उद्यमी को प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.40,12.80 एवं 20.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जो दो किस्तों में देय होगा। प्रथमवार अनुदान राशि उत्पादन क्षमता का कम–से–कम 50 प्रतिशत उत्पादन करने के उपरांत देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि का प्रथम वार में 50 प्रतिशत राशि देय होगा तथा शेष अनुदान राशि लगातार कार्य करने के उपरांत 5 वें वर्ष में पूर्ण उत्पादन क्षमता पर देय होगा। पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का शत्–प्रतिशत अधिकतम 16.00, 32.00 एवं 50.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- **जैव उर्वरक** पोषक तत्वों को जमीन में स्थिर करने तथा इसे पौधों को उपलब्ध कराने में उपयोगी है। जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु अनुदान दर की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत जो किसान जैव उर्वरक खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दर की स्वीकृति की गई है। व्यावसायिक जैव उर्वरक में सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- **हरी खाद** के रूप में ढैंचा तथा मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरमा/पूर्व खरीफ 2017 के लिए इस कार्यक्रम में ढैंचा बीज 90 प्रतिशत तथा मूंग का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित अनुदान राशि का भुगतान विभागीय निर्णय के आलोक में किया जाएगा।
- **गोबर/बायो गैस** के प्रोत्साहन के लिए किसानों को अनुदान राशि दी जायेगी। गोबर गैस को बढावा देने के लिए किसानों को 02 घनमीटर क्षमता के लिए इसके लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देने का प्रावधान है। संयंत्र की स्थापना के लिए टर्न की सर्विस प्रोवाईडर को 1500 रूपये प्रति इकाई पूर्व की तरह सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ–साथ प्रति जिला कम–से–कम दो और उससे अधिक व्यक्तियों को गोबर गैस संयंत्र के रख–रखाव हेतु प्रशिक्षित करने तथा इसके लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति है।
- **बीज टीकाकरण अभियान** उन्नतशील प्रभेदों के लिए प्रत्येक तीन साल में बीज बदलने की सलाह किसानों को दी जाती है। अगले दो मौसम में उसी बीज को लगाने की सलाह किसानों को दी जाती है। उन बीजों तथा किसानों द्वारा प्रयुक्त स्वयं के बीज को उपचारित करने हेतु बीज टीकाकरण अभियान शुरु करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह अभियान विशेष रुप से धान एवं दलहन के टाल क्षेत्र (पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर एवं भागलपुर) में फसल के पैदावार के लिए चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।
- **समेकित कीट प्रबंधन** फसलों के लिए कुछ अत्यंत नुकसानदेह कीड़े जैसे चना का पिल्लू (पॉड बोरर), बैगन का पिल्लू (सूट एण्ड फ्रूट बोरर) आदि के नर कीट को फिरोमोनट्रेप लगाकर फँसाया जा सकता है तथा इसकी आबादी को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह नयी तकनीक है। इसके प्रति रूझान बढ़ाने के लिए मूल्य का 90 प्रतिशत अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। रासायनिक कीटनाशी/फफुंदनाशी के व्यवहार से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जैविक विकल्प अपनाना आवश्यक हैं। इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण** किसानों/उत्पादकों का समूह बनाकर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक खेती के लिए निर्धारित पैकेज पर अनुदान देकर अंगीकरण कराकर प्रमाणीकरण कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जैविक खेती के अंगीकरण का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा प्रमाणीकरण संबंधी अन्य सभी कार्य निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना द्वारा किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना अर्न्तगत चयनित किसी एजेंसी का चयन कर अंगीकरण का कार्य कराया जायेगा और या अपने द्वारा भी एजेंसी का चयन कर जिले में अंगीकरण का कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित राशि का भुगतान निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना को उनके पी0एल0 खाता सं0 269 में किया जायेगा।

5. किसानों को सभी प्रकार की सहायता किसान मेला लगाकर/शिविर में दिया जायेगा। किसान मेला/शिविर में उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास

किया जायेगा। किसान अपनी पसंद से किसी भी निर्माता/विक्रेता से गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकेंगे। भारत सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। विशिष्ट मामलों में जहाँ भारत सरकार द्वारा मानक तय नहीं किया गया है, वहाँ कृषि निदेशक के स्तर पर वैज्ञानिकों की राय लेकर राज्य के किसानों के हित में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

6. पूर्व से स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई/गोबर गैस इकाई का अनुदान भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्वीकृत राशि से ही किया जायेगा।

7. वर्ष 2017–18 में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई (10'X3'X2.5'=75 घन फीट) कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायेगा। इस संबंध में उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) कर्मशाला, आरा द्वारा पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई संरचना का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। प्राक्कलित राशि 14431.90 रू0 है (अनुसूची–4 संलग्न)। प्राक्कलन में उल्लेखित बाहरी प्लास्टर एवं पन्नींग को हटाते हुए प्रति इकाई 10000 रू0 निर्माण राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम 4000 रू0 अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. योजना के अधीन प्रस्तावित कार्यमदों यथा–पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई/ प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी कम्पोस्ट इकाई/वर्मी कम्पोस्ट तथा जैव उर्वरक वितरण/गोबर गैस इकाई/जैविक खेती का अंगीकरण को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। समेकित कीट प्रबंधन से संबंधित कार्यमदों का कार्यान्वयन विभागीय पौधा संरक्षण संभाग से जिला कृषि पदाधिकारी के निगरानी में किया जायेगा। हरी खाद योजना को जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इसमें बिहार राज्य बीज निगम को बीज आपूर्त्ति की जवाबदेही दी गई है।

9. वर्ष 2017–18 में पाइलट प्रोग्राम के तहत् एक ग्राम का चयन कर ज्यादा से ज्यादा ईच्छुक लोगों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई एवं गोबर गैस इकाई के निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिससे अन्य किसान भी योजना के प्रति जागरूक हो सके।

10. गोबर गैस के रख रखाव हेतु प्रत्येक जिला से दो व्यक्ति को प्रशिक्षित करने तथा प्रयुक्त होने वाले टूल को अनुदानित दर पर देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11. योजनांतर्गत कार्यक्रमवार लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–3 एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुसूची–3 (ख) पर संलग्न हैं। विशिष्ट परिस्थितियों जैसे किसी खास जिला में किसी खास मद के प्रति किसानों के रूझान/वैज्ञानिक अनुशंसा के आलोक में कार्यमद की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए विभागीय अनुमोदन के बाद जिलों के लक्ष्य को संशोधित किया जा सकता है। योजना में स्वीकृत राशि की सीमा में कार्यमदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

12. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। सम्बंधित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना के लाभार्थियों को सीधे अनुदान राशि का भुगतान कोषागार के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

13. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है तथा प्रस्तावित कुल वित्तीय सीमा के अन्दर एक घटक योजना के लक्ष्य को दुसरे घटक योजना में भी प्रशासी विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

14. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 105– खाद तथा उर्वरक उप शीर्ष–0106–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01–2401001050106 विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	10770.88	10770.88
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–0126 जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01–2401007890126 विषय शीर्ष–0126.33.01 सब्सिडी	2076.34	2076.34
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष–0148–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01–2401007960148 विषय शीर्ष–0148.33.01 सब्सिडी	129.78	129.78
कुल	**12977.00**	**12977.00**

15. वित्त विभाग का संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 08.08.2017 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–16/2016 के पृ0सं0–51/टि० पर प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–16/2016 के पृ0सं0– 53/टि. पर दिनांक– 11.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12-8-2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना, दिनांक 16-08-, 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना, दिनांक 16-08-, 2017

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–16/2016 3243 /कृ0, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2017–18 के लिए कार्यक्रमवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	योजना का नाम	इकाई	2016–17	2017–18
1	पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई (75 घनफीट)	भौतिक (सं0 में)	115000	150000
		वित्तीय (लाख रू. में)	3450.00	6000.00
2	प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी कम्पोस्ट इकाई	भौतिक (सं0 में)	0	11300
		वित्तीय (लाख रू. में)	0.00	452.00
3	पायलट प्रोग्राम के तहत एक ग्राम में पूर्ण वर्मी कम्पोस्ट इकाई	भौतिक (सं0 में)	0	9000
		वित्तीय (लाख रू. में)	0.00	360.00
4	वर्मी कम्पोस्ट वितरण	भौतिक (क्विं0 में)	200000	350000
		वित्तीय (लाख रू. में)	600.00	1050.00
5	गोबर / बायो गैस	भौतिक (सं0 में)	2609	3600
		वित्तीय (लाख रू. में)	534.90	738.00
6	व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई	भौतिक (सं0 में)	15	20
		वित्तीय (लाख रू. में)	300.00	400.00
7	व्यवसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाई	भौतिक (सं0 में)	2	2
		वित्तीय (लाख रू. में)	128.00	128.00
8	जैव उर्वरक वितरण	भौतिक (हे0 में)	150000	37500
		वित्तीय (लाख रू. में)	112.5	112.50
9	सूक्ष्म पोषक तत्व	भौतिक (हे0 में)	40000	0
		वित्तीय (लाख रू. में)	200	0.00
10	हरी खाद (मूंग, ढैंचा, सनई, ग्वारगम, लोबिया)	भौतिक (हे0 में)	601986	327385
		वित्तीय (लाख रू. में)	7099.9	2872.27
11	बीज टिकाकरण अभियान – बीजोपचार रसायन (धान+दलहन के लिए)	भौतिक (हे0 में)	100000	304400
		वित्तीय (लाख रू. में)	150.00	214.28
	बीज टिकाकरण अभियान – बीजोपचार उपकरण (सीड ड्रम)	वित्तीय (लाख रू. में)	0	211.50
	बीज टिकाकरण अभियान – आकस्मिक व्यय (मास्क / दस्ताना / 02 मी0 प्लास्टिक)	वित्तीय (लाख रू. में)	0	42.30
12	फेरोमेनट्रैप	भौतिक (हे0 में)	15000	15000
		वित्तीय (लाख रू. में)	135	135
13	जैव कीटनाशी	भौतिक (हे0 में)	20000	20000
		वित्तीय (लाख रू. में)	100	100
14	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणिकरण	भौतिक (एकड़ में)	2500	2000
		वित्तीय (लाख रू. में)	166.7	133.36
15	कौशल प्रशिक्षण एवं आकस्मिक व्यय	वित्तीय (लाख रू. में)	0	27.79
	कुल	वित्तीय (लाख रू. में)	12977.00	12977.00

(राधा रमण) (अशोक प्रसाद)
प्रभारी पदाधिकारी
जैविक प्रोत्साहन कोषांग

अनुसूची–02

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरणी

क्र	मद का नाम	अनुदान दर	लाभान्वित का विवरण
1	पक्का वर्मी बेड	आकार– (10'x3'x2.5') = 75 cft. अनुदान की राशि– मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 4000.00 रू0 प्रति इकाई	किसान
2	प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी कम्पोस्ट इकाई	अनुदान की राशि– मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000.00 रू0 प्रति इकाई	किसान
	व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई		
3	1) 1000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को परियोजना के कुल लागत मूल्य 16.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 6.40 लाख प्रति इकाई पॉच साल में भुगतेय। (ख) पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को परियोजना लागत मूल्य का शत–प्रतिशत अनुदान अधिकतम 16.00 लाख रू0 प्रति इकाई।	Individual/co-operative/Proprietaryfirm/Companies/farmer Interest Group/NGO/SHG
	2) 2000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को परियोजना के कुल लागत मूल्य 32.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12.80 लाख प्रति इकाई पॉच साल में भुगतेय। (ख) पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को परियोजना लागत मूल्य का शत–प्रतिशत अनुदान अधिकतम 32.00 लाख रू0 प्रति इकाई।	
	3) 3000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को परियोजना के कुल लागत मूल्य 50.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 20.00 लाख प्रति इकाई पॉच साल में भुगतेय। (ख) पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को परियोजना लागत मूल्य का शत–प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50.00 लाख रू0 प्रति इकाई।	
4	वर्मी कम्पोस्ट वितरण	किसानों को वर्मी कम्पोस्ट क्रय करने पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रूपये प्रति क्वी0 की दर से अनुदान देने का प्रावधान है।	किसान
	व्यावसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन इकाई		
5	600 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को परियोजना के कुल लागत मूल्य 160.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 64.00 लाख प्रति इकाई। (ख) पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को परियोजना लागत मूल्य का शत–प्रतिशत अनुदान अधिकतम 160.00 लाख रू0 प्रति इकाई।	Individual/co-operative/ Proprietary firm/ Companies/farmer Interest Group/NGO/SHG

(अशोक प्रसाद)

6/17

6	गोबर गैस 2 घन मीटर.	2 घन मीटर के कुल लागत मूल्य 37,576 लाख रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 19000 रूपये।	किसान
		टर्न की अनुदान (प्रोत्साहन राशि)–1500 रू0 प्रति इकाई।	संस्था
7	हरी चादर योजना – ढैंचा	लागत मूल्य का 90 प्रतिशत	किसान
8	जैव उर्वरक वितरण	लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 300 रूपये प्रति हेक्टेयर।	किसान
9	बीजोपचार रसायन	अनुदान राशि कार्बेन्डाजाईम 550 रू0/किग्रा0 एवं क्लोरापाइरीफॉस 330 रू0/ली0	किसान
10	फेरोमोनट्रेप	लागत मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर।	किसान
11	जैव कीटनाशी	लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर।	किसान
12	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण	अंगीकरण हेतु अधिकतम 4150 रू0 प्रति एकड़। प्रमाणीकरण हेतु अधिकतम 1000 रू0 प्रति एकड़।	किसान/संस्था/ उत्पादन समूह बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से

(राधा रमण) (अशोक प्रसाद)
प्रभारी पदाधिकारी
जैविक प्रोत्साहन कोषांग
बिहार, पटना